2022 का विधेयक संख्यांक 217.

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश,1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

सं0आ0 22 5

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 14-तमिलनाडु में, प्रविष्टि 36 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"37. नरिकुरवन, कुरुविक्कारन"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, "अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 342, नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघराज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. उक्त सांविधानिक उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । तमिलनाडु राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को पश्चातवर्ती रूप से संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया था ।

4. तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुरुविक्कारन समुदायों के साथ नरिकुरवन को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है तमिनाडु राज्य की सिफारिश के आधार और भारत के महारजिस्टार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ परामर्श के पश्चात् संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 14 को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

5. तद्नुसार संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 14 - में "37. नरिकुरवन, कुरुविक्कारन" प्रविष्टि को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 नवंबर, 2022

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 14 में प्रविष्टि "37. नरिकुरवन, कुरुविक्कारन" को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है । तमिलनाडु राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित स्कीमों को जारी रखने के अधीन विधेयक में प्रस्तावित उक्त समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित फायदों के लेखे अतिरिक्त व्यय हो सकेगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस लेखे उपगत अतिरिक्त व्यय का आकलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर ही किया जाएगा ।